राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

S. N. F20 (101)CCE/Admin/AISHE-00372 Date:

समस्त प्राचार्य
राजकीय/निजी/बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय:महाविद्यालय का नाम AISHEपोर्टल पर दर्ज़ करवाकर AISHEकोड प्राप्त करने बाबत |

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए All India Survey on Higher Educationनवीन सत्र के लिए शुरू होगया है। इस ऑनलाइन सर्वे के लिए सर्वप्रथम AISHEपोर्टल पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवा कर AISHE कोड प्राप्त करना आवश्यक है। यहAISHEकोड राज्य एवं भारत सरकार के छात्रवृति पोर्टल पर नाम जोड़े जाने के लिए अति आवश्यक है। यदि AISHEकोड की वजह से कोई विद्यार्थी छात्रवृति में वंचित रह जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी | अगर महाविद्यालय को AISHEकोड पहले से ही मिला हुआ हैउन्हें पुनः नाम जुड़वाने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे महाविद्यालय जिनके नाम AISHEपोर्टल पर रजिस्टर नहीं है वे अविलंब अपने महाविद्यालय का नाम AISHEPortal (http://aishe.nic.in)के मुख्यपृष्ठ पर अंकित "Request for Adding Institute" लिंक https://dcf.aishe.nic.in/addnewinstitute/#/ पर क्लिक कर अपने महाविद्यालय व महाविद्यालय के नोडल ऑफिसर से सम्बंधित जानकारी भरें तथा Proof of Existenceके लिए महाविद्यालय की राज्य सरकार की Latest NOC, विश्वविद्यालय का Latest Affiliationलैटर एक ही pdfफाइल में बनाकर अपलोड करें इसके पश्चात राज्य नोडल अधिकारी (SNO)व विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी (UNO)से Approvalके बाद AISHE, MHRDनई दिल्ली द्वारा नाम जोड़ा जावेगा |

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.26 13:26:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4790352

समस्त निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की NOC नीति अनुसार Web DCFअपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है इससे पूर्व महाविद्यालय का नाम AISHE Portalपर दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सम्पर्ण जानकारी व गाईडलाइन्स AISHE पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. संदीप कुमार / श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है|

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि:

1. डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली
2. संयुक्त सचिव (ग्रुप-4)को भेजकर लेख है की वे नए विश्वविद्यालयोंको अपना नाम AISHEपोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें ।
3. संयुक्त निदेशक(निजी संस्थाएं) पृथक से पत्र लिखकर निजी महाविद्यालयों को AISHE पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें ।
4. समस्त रजिस्ट्रार, सम्बद्धक महाविद्यालयों को भेज कर लेख है की वे अपने विश्वविद्यालय के नोडलअधिकारीAISHE (UNO)को ऑनलाइन Requestsको निरंतर Approvalकी कार्यवाही करते रहने हेतु निर्देशित करे |
5. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों/निजीमहाविद्यालयों को AISHEपोर्टल पर दर्ज करवाने हेतुनिर्देशित करवाना सुनिश्चित करें |
6. समस्त नोडल महाविद्यालय सत्र2023-24में खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालयों को AISHEपोर्टल पर नाम दर्ज करवाने हेतुनिर्देशितकरवानासुनिश्चित करें |
7. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे निजी व बीएड महाविद्यालयों से संपर्क कर उनकानाम AISHEपोर्टल पर दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें |
8. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.26 13:26:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4790352